"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 819] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 17 दिसम्बर 2024 — अग्रहायण 26, शक 1946

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 17 दिसम्बर 2024 (अग्रहायण 26, 1946)

क्रमांक–14560 / वि.स. / विधान / 2024. – छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 13 सन् 2024) जो मंगलवार, दिनांक 17 दिसम्बर, 2024 को पुरःस्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

हस्ता. / –

(दिनेश शर्मा)
सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 13 सन् 2024)

छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024

छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्र. 7 सन् 2017) को अग्रतर संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ के विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2024 कहलाएगा।

(2) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा, जो राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से अधिसूचना द्वारा नियत करे :

परंतु इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधो के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का अर्थान्वयन इस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रतिनिर्देश के रूप में किया जाएगा।

2. छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्र 7 सन् 2017) (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) में, धारा 9 की उप–धारा (1) में, वाक्यांश "मानवीय उपभोग के लिए मद्यसारिकपान" के पश्चात्, वाक्यांश "और विकृत अतिरिक्त निष्प्रभावी एल्कोहल या परिशोधित स्पिरिट, जो मानवीय उपभोग के लिए मद्यसारिकपान के विनिर्माण हेतु प्रयुक्त किया जाता है," अंतःस्थापित किया जाए। धारा 9 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (5) में, शब्द एवं अंक "धारा 73 या धारा 74" के पश्चात्, शब्द एवं अंक "या धारा 74क" अंतःस्थापित किया जाए। धारा 10 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 11 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा जोड़ी जाए, अर्थात् :— धारा 11 का संशोधन।

"11क. **साधारण पद्धति के परिणामस्वरूप उद्ग्रहित नहीं किए गए या कम उद्गृहीत किए गए माल और सेवा कर की वसूली न करने की शक्ति.**— इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि सरकार का यह समाधान हो जाता है कि–

(क) माल या सेवाओं या दोनों के किसी प्रदाय पर राज्य कर के उद्गृहण (उसके गैर उद्गृहण सहित) के संबंध में कोई पद्धति साधारणतया प्रचलन में थी या है; और

(ख) ऐसी प्रदायों, जो निम्नलिखित के लिए दायी थीं या हैं–

(i) उन मामलों में, जहाँ उक्त पद्धति के अनुसार, राज्य कर उद्गृहीत नहीं किया गया था या उद्गृहीत नहीं किया जा रहा है, राज्य कर; या

(ii) राज्य कर की ऐसी रकम, जिसे उक्त पद्धति के अनुसार उद्गृहीत किया जा रहा था या किया जा रहा है, से उच्चतर रकम हैं,

तो राज्य सरकार, परिषद् की अनुशंसा पर, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह निर्देश दे सकेगी कि, यथास्थिति, ऐसे प्रदायों पर संदेय संपूर्ण राज्य कर

या ऐसे प्रदायों पर संदेय राज्य कर के आधिक्य में राज्य कर, परंतु उक्त पद्धति हेतु उन प्रदायों के संबंध में संदत्त किया जाना अपेक्षित नहीं होगा, जिन पर राज्य कर, उक्त पद्धति के अनुसार, उद्गृहीत नहीं किया जा रहा है या उद्गृहीत नहीं किया जा रहा था या कम उदगृहीत किया जा रहा है या कम उद्गृहीत किया जा रहा था।"

धारा 13 का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (3) में,–

(एक) खंड (ख) में, शब्द "प्रदायकर्ता द्वारा बीजक या उसके बजाए" के स्थान पर, शब्द "उन मामलों में, जहाँ बीजक प्रदायकर्ता द्वारा जारी किया जाना अपेक्षित है, प्रदायकर्ता द्वारा बीजक या उसके बजाए;" प्रतिस्थापित किया जाए;

(दो) खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"(ग) उन मामलों में, जहाँ बीजक, प्राप्तकर्ता द्वारा जारी किया जाना है, वहां प्राप्तकर्ता द्वारा बीजक जारी किए जाने की तारीख;"

(तीन) प्रथम परंतुक में, शब्द तथा चिन्ह "या खंड (ख) के पश्चात्, शब्द तथा चिन्ह "या खंड (ग)" अंतःस्थापित किया जाए।

धारा 16 का संशोधन।

6. मूल अधिनियम की धारा 16 की उप–धारा (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उप–धाराएं जोड़ी जाएं, अर्थात् :–

"(5) उपधारा (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, वित्तीय वर्ष 2017–18, 2018–19, 2019–20 और 2020–21 से संबंधित माल या सेवाओं या दोनों की प्रदाय के लिए किसी बीजक या नामे नोट के संबंध में, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, धारा 39 के अधीन किसी विवरणी में, जिसे 30 नवंबर, 2021 तक फाइल किया गया है, इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगा।

(6) जहाँ किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण, धारा 29 के अधीन रद्द किया जाता है और

तत्पश्चात् या तो धारा 30 के अधीन किसी आदेश द्वारा या अपील प्राधिकारी अथवा अपील अधिकरण या न्यायालय द्वारा किए गए किसी आदेश के अनुसरण में, रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण प्रतिसंहृत किया जाता है और जहाँ बीजक या नामे नोट के संबंध में, इनपुट कर प्रत्यय का लाभ, रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के आदेश की तारीख को उप–धारा (4) के अधीन निर्बंधित नहीं था, वहां उक्त व्यक्ति, धारा 39 के अधीन ऐसी विवरणी में माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के लिए ऐसे बीजक या नामे नोट के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगा,–

(एक) उस वित्तीय वर्ष के पश्चात् आने वाले 30 नवंबर, जिससे ऐसा बीजक या नामे नोट संबंधित है या सुसंगत वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने तक, इनमें जो भी पूर्वतर हो, फाइल की जाती है; या

(दो) यथास्थिति, रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण की तारीख से या रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण की प्रभावी तारीख से उस अवधि के लिए, रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के आदेश की तारीख तक, जहाँ ऐसी विवरणी, रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर, इनमें जो भी पश्चातवर्ती हो, फाइल की जाती है :

परंतु यह कि भुगतान किये गये सभी कर या इनपुट टैक्स क्रेडिट का प्रतिदाय नहीं लिया जाएगा जिसका इस प्रकार भुगतान नहीं किया गया होता या जो प्रत्यावर्तित नहीं किया गया होता, धारा 6 के अधीन सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त होगा।"

7. मूल अधिनियम की धारा 17 की उप–धारा (5) के खंड (झ) में, शब्द तथा अंक "धारा 74, धारा 129 और धारा 130" के स्थान पर, शब्द तथा अंक "वित्तीय वर्ष 2023–24 तक किसी के संबंध में धारा 74" प्रतिस्थापित किया जाए। धारा 17 का संशोधन।

8. मूल अधिनियम की धारा 21 में, शब्द तथा अंक "धारा 73 या धारा 74" के पश्चात्, शब्द तथा अंक "या धारा 74क" धारा 21 का संशोधन।

अंतःस्थापित किया जाए।

9. मूल अधिनियम की धारा 30 की उप–धारा (2) के परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:– धारा 30 का संशोधन।

"परंतु यह और कि ऐसे रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण का प्रतिसंहरण, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन होगा, जो विहित की जाएं।"

10. मूल अधिनियम की धारा 31 में,– धारा 31 का संशोधन।

(एक) उप–धारा (3) के खंड (च) में, शब्द "कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो" के पश्चात्, शब्द "ऐसी अवधि के भीतर, जो विहित की जाए" अंतःस्थापित किया जाए ;

(दो) उप–धारा (3) के खंड (छ) के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"स्पष्टीकरण.– खंड (च) के प्रयोजनार्थ, "प्रदायकर्ता, जो रजिस्ट्रीकृत नहीं है" पद में ऐसा प्रदायकर्ता सम्मिलित होगा, जो केवल धारा 51 के अधीन कर की कटौती के प्रयोजन के लिए रजिस्ट्रीकृत है।"

11. मूल अधिनियम की धारा 35 की उप–धारा (6) में, शब्द तथा अंक "धारा 73 या धारा 74" के पश्चात्, शब्द तथा अंक "या धारा 74क" अंतःस्थापित किया जाए। धारा 35 का संशोधन।

12. मूल अधिनियम की धारा 39 की उप–धारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–धारा प्रतिस्थापित की जाए, अर्थात् :– धारा 39 का संशोधन।

"(3) धारा 51 के अधीन, स्त्रोत पर कर कटौती के लिए अपेक्षित प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, प्रत्येक कैलेंडर मास के लिए, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में तथा ऐसे समय के भीतर, जो विहित की जाए, मास के दौरान की गई कटौतियों की एक विवरणी इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करेगा :

परंतु उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, प्रत्येक कैलेंडर मास के लिए एक विवरणी प्रस्तुत करेगा, चाहे उक्त मास के दौरान

कोई कटौतियां की गई हों अथवा नहीं।"

13. मूल अधिनियम की धारा 49 की उप–धारा (8) के खंड (ग) में, शब्द तथा अंक "धारा 73 या धारा 74" के पश्चात्, शब्द तथा अंक "या धारा 74क" अंतःस्थापित की जाए। — धारा 49 का संशोधन।

14. मूल अधिनियम की धारा 50 की उप–धारा (1) के परंतुक में, शब्द तथा अंक "धारा 73 या धारा 74" के पश्चात्, शब्द तथा अंक "या धारा 74क" अंतःस्थापित की जाए। — धारा 50 का संशोधन।

15. मूल अधिनियम की धारा 51 की उप–धारा (7) में, शब्द तथा अंक "धारा 73 या धारा 74" के पश्चात्, शब्द तथा अंक "या धारा 74क" अंतःस्थापित की जाए। — धारा 51 का संशोधन।

16. मूल अधिनियम की धारा 54 में,– — धारा 54 का संशोधन।

(एक) उप–धारा (3) के द्वितीय परंतुक का लोप किया जाए ;

(दो) उप–धारा (14) के पश्चात् तथा स्पष्टीकरण के पूर्व, निम्नलिखित उप–धारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात्:–

"(15) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, माल के प्रदाय की शून्य रेटेड के मद्दे अनुपयोजित इनपुट कर प्रत्यय या माल की शून्य रेटेड प्रदाय के मद्दे संदत्त एकीकृत कर का कोई प्रतिदाय अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, जहाँ माल की ऐसी शून्य रेटेड प्रदाय निर्यात शुल्क के अध्यधीन है।"

17. मूल अधिनियम की धारा 61 की उप–धारा (3) में, शब्द तथा अंक "धारा 73 या धारा 74" के पश्चात्, शब्द तथा अंक "या धारा 74क" अंतःस्थापित की जाए। — धारा 61 का संशोधन।

18. मूल अधिनियम की धारा 62 की उप–धारा (1) में, शब्द तथा अंक "धारा 73 या धारा 74" के पश्चात्, शब्द तथा अंक "या धारा 74 क" अंतःस्थापित की जाए। — धारा 62 का संशोधन।

19. मूल अधिनियम की धारा 63 में, शब्द तथा अंक "धारा 73 या धारा 74" के पश्चात्, शब्द तथा अंक "या धारा 74क" अंतःस्थापित की जाए। — धारा 63 का संशोधन।

20. मूल अधिनियम की धारा 64 की उप–धारा (2) में, शब्द तथा — धारा 64 का

संशोधन।

अंक "धारा 73 या धारा 74" के पश्चात्, शब्द तथा अंक "या धारा 74क" अंतःस्थापित की जाए।

धारा 65 का संशोधन।

21. मूल अधिनियम की धारा 65 की उप–धारा (7) में, शब्द तथा अंक "धारा 73 या धारा 74" के पश्चात्, शब्द तथा अंक "या धारा 74क" अंतःस्थापित की जाए।

धारा 66 का संशोधन।

22. मूल अधिनियम की धारा 66 की उप–धारा (6) में, शब्द तथा अंक "धारा 73 या धारा 74" के पश्चात्, शब्द तथा अंक "या धारा 74क" अंतःस्थापित की जाए।

धारा 70 का संशोधन।

23. मूल अधिनियम की धारा 70 की उप–धारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उप–धारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात् :–

"(1क) उप–धारा (1) के अधीन समन किए गए सभी व्यक्ति या तो व्यक्तिगत रूप से या किसी प्राधिकृत प्रतिनिधी द्वारा उपस्थित होने के लिए आबद्धकर होंगे, जैसा कि ऐसा अधिकारी निर्देश दे और इस प्रकार उपस्थित होने वाला व्यक्ति परीक्षा के दौरान सत्य बोलेगा या कथन करेगा या ऐसे दस्तावेज और अन्य वस्तुएं, जो अपेक्षित हो, प्रस्तुत करेगा।"

धारा 73 का संशोधन।

24. मूल अधिनियम की धारा 73 में,–

(एक) पार्श्व शीर्षक में, शब्द "असंदत्त कर" के पूर्व, शब्द तथा अंक "वित्तीय वर्ष 2023–24 तक की अवधि से संबंधित" अंतःस्थापित किया जाए ;

(दो) उप–धारा (11) के पश्चात्, निम्नलिखित उप–धारा जोड़ी जाए, अर्थात् :–

"(12) इस धारा के उपबंध, वित्तीय वर्ष 2023–24 तक की अवधि से संबंधित कर के अवधारण को लागू होंगे।"

धारा 74 का संशोधन।

25. मूल अधिनियम की धारा 74 में,–

(एक) पार्श्व शीर्षक में, शब्द "असंदत्त कर" के पूर्व शब्द तथा अंक "वित्तीय वर्ष 2023–24 तक की अवधि से संबंधित" अंतःस्थापित किया जाए ;

(दो) उप–धारा (11) के पश्चात् और स्पष्टीकरण 1 के पूर्व निम्नलिखित उप–धारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात्:–

"(12) इस धारा के उपबंध, वित्तीय वर्ष 2023–24 तक की अवधि से संबंधित कर के अवधारण को लागू होंगे।";

(तीन) स्पष्टीकरण 2 का लोप किया जाए।

नवीन धारा 74क का अंतःस्थापन।

26. मूल अधिनियम की धारा 74 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा जोड़ी जाए, अर्थात् :–

"74क. वित्तीय वर्ष 2024–25 से संबंधित असंदत्त या कम संदत्त या त्रुटिवश प्रतिदाय किए गए या कर से संबंधित किसी कारण से गलत तरीके से लिए गए या उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय का अवधारण.– (1) जहाँ समुचित अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि किसी कर का संदाय नहीं किया गया है या कम संदाय किया गया है या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है या जहाँ इनपुट कर प्रत्यय गलत तरीके से लिया गया है या उपयोग किया गया है, तो वह ऐसे कर से प्रभार्य उस व्यक्ति, जिसे इस प्रकार संदत्त नहीं किया गया है या जिसे इस प्रकार कम संदत्त किया गया है या जिस व्यक्ति को त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है, या जिसने गलत तरीके से इनपुट कर प्रत्यय लिया है या उपयोग किया है, उससे यह कारण बताने की अपेक्षा करते हुए क्यों न वह धारा 50 के अधीन उस पर संदेय ब्याज के साथ सूचना में विनिर्दिष्ट रकम तथा इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन उद्गृहणीय शास्ति का संदाय करे, को सूचना की तामील करेगा :

परंतु यह कि कोई सूचना जारी नहीं की जाएगी यदि किसी वित्तीय वर्ष में वह कर एक हजार रुपए से कम है, जिसे संदत्त नहीं किया गया है या कम संदत्त किया गया है या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है या गलत तरीके से इनपुट कर प्रत्यय लिया है या उपयोग किया है।

(2) समुचित अधिकारी उस वित्तीय वर्ष के लिए,

जिसके लिए कर संदत्त नहीं किया गया है या कम संदत्त किया गया है या गलत तरीके से इनपुट कर प्रत्यय लिया है या उपयोग किया है, वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के लिए देय तारीख से बयालीस मास के भीतर या त्रुटिवश प्रतिदाय की तारीख से बयालीस मास के भीतर, उप–धारा (1) के अधीन सूचना जारी करेगा।

(3) जहाँ उप–धारा (1) के अधीन किसी अवधि के लिए सूचना जारी की गई है, वहाँ समुचित अधिकारी, कर से प्रभार्य व्यक्ति पर उप–धारा (1) के अंतर्गत आने वाली अवधियों से भिन्न ऐसी कर अवधियों के लिए असंदत्त या कम संदत्त किए गए या त्रुटिवश प्रतिदाय किए गए कर अथवा गलत तरीके से लिए गए या उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरे अंतर्विष्ट करने वाला एक कथन तामील कर सकेगा।

(4) ऐसे कथन की तामील, उप–धारा (1) के अधीन ऐसे व्यक्ति पर, इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए कि उप–धारा (1) के अंतर्गत आने वाली अवधियों से भिन्न, ऐसी कर अवधियों के लिए विश्वास किए गए आधार, पूर्ववर्ती सूचना में उल्लिखित आधारों के समान ही हैं, सूचना की तामील समझी जाएगी।

(5) उस मामले में, जहाँ कर संदत्त नहीं किया गया है या कम संदत्त किया गया है या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है अथवा गलत तरीके से लिया गया है या उपयोग किया गया है, वहाँ शास्ति,–

(एक) कर अपवंचन के लिए कपट या किसी जानबूझकर किए गए मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने के कारणों से भिन्न, किसी कारण से, ऐसे व्यक्ति से देय कर के दस प्रतिशत के समतुल्य या दस हजार रुपए, जो भी उच्चतर हो, होगी ;

(दो) कर अपवंचन के लिए कपट या किसी जानबूझकर किए गए मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने के लिए ऐसे व्यक्ति से देय कर के समतुल्य होगी।

(6) समुचित अधिकारी, कर से प्रभार्य किसी व्यक्ति

द्वारा किए गए अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात्, ऐसे व्यक्ति से देय कर, ब्याज और शास्ति की रकम अवधारित करेगा तथा आदेश जारी करेगा।

(7) समुचित अधिकारी, उप–धारा (2) में विनिर्दिष्ट सूचना को जारी करने की तारीख से बारह मास के भीतर उप–धारा (6) के अधीन आदेश जारी करेगा:

परंतु यह कि, जहाँ समुचित अधिकारी, विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर आदेश जारी करने में असमर्थ है, वहाँ आयुक्त या समुचित अधिकारी की श्रेणी में वरिष्ठ आयुक्त द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, परंतु जो राज्य कर संयुक्त आयुक्त की श्रेणी से अनिम्न हो, उप–धारा (6) के अधीन आदेश जारी करने में विलंब के कारणों को अभिलिखित करके ध्यान में रखते हुए, विनिर्दिष्ट कालावधि के अवसान के पूर्व, उक्त कालावधि को अधिकतम छह मास की और अवधि तक बढ़ा सकेगा ।

(8) जहाँ कर अपवंचन के लिए कपट या किसी जानबूझकर किए गए मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने के कारणों से भिन्न किसी कारण के लिए, कोई कर संदत्त नहीं किया गया है या कम संदत्त किया गया है या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है अथवा गलत तरीके से इनपुट कर प्रत्यय लिया गया है या उपयोग किया गया है, वहाँ कर से प्रभार्य व्यक्ति,–

(एक) उप–धारा (1) के अधीन सूचना की तामील के पूर्व, ऐसे कर के स्व–अभिनिश्चय अथवा समुचित अधिकारी द्वारा यथा अभिनिश्चित कर के आधार पर धारा 50 के अधीन ऐसे कर की रकम का संदाय ब्याज सहित कर सकेगा और ऐसे संदाय के विषय में लिखित में समुचित अधिकारी को सूचित कर सकेगा तथा समुचित अधिकारी, ऐसी सूचना की प्राप्ति पर इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन इस प्रकार संदत्त कर या संदेय किसी शास्ति के संबंध में, यथास्थिति, उप–धारा (1) के अधीन किसी सूचना या उप–धारा (3) के

अधीन कथन की तामील नहीं करेगा ;

(दो) कारण बताओं सूचना के जारी करने के साठ दिन के भीतर धारा 50 के अधीन संदेय ब्याज, सहित उक्त कर का संदाय कर सकेगा और ऐसा करने पर, कोई शास्ति संदेय नहीं होगी तथा उक्त सूचना के संबंध में सभी कार्यवाहियाँ समाप्त हुई समझी जाएंगी।

(9) जहाँ कर अपवंचन के लिए कपट या किसी जानबूझकर किए गए मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने के कारणों, जहाँ कोई कर संदत्त नहीं किया गया है या कम संदत्त किया गया है या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है अथवा गलत तरीके से इनपुट कर प्रत्यय लिया गया है या उपयोग किया गया है, वहाँ कर से प्रभार्य व्यक्ति,–

(एक) उप–धारा (1) के अधीन सूचना की तामील के पूर्व, ऐसे कर के स्व–अभिनिश्चय अथवा समुचित अधिकारी द्वारा यथा अभिनिश्चित कर के आधार पर धारा 50 के अधीन ऐसे कर के संदेय ब्याज और ऐसे कर के पन्द्रह प्रतिशत के समतुल्य शास्ति के साथ कर की रकम का संदाय कर सकेगा और ऐसे संदाय के बारे में लिखित में समुचित अधिकारी को सूचित कर सकेगा, तथा समुचित अधिकारी ऐसी सूचना की प्राप्ति पर इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन इस प्रकार संदत्त कर या संदेय किसी शास्ति के संबंध में, उप–धारा (1) के अधीन किसी सूचना की तामील नहीं करेगा;

(दो) सूचना के जारी करने के साठ दिन के भीतर धारा 50 के अधीन संदेय ब्याज और ऐसे कर के पच्चीस प्रतिशत के समतुल्य शास्ति के साथ उक्त कर का संदाय कर सकेगा और ऐसा करने पर उक्त सूचना के संबंध में सभी कार्यवाहियाँ समाप्त हुई समझी जाएंगी;

(तीन) आदेश की संसूचना के साठ दिन के भीतर धारा 50 के अधीन संदेय ब्याज और ऐसे

कर के पचास प्रतिशत के समतुल्य शास्ति के साथ उक्त कर का संदाय कर सकेगा, और ऐसा करने पर, उक्त सूचना के संबंध में सभी कार्यवाहियाँ समाप्त हुई समझी जाएंगी।

(10) जहाँ समुचित अधिकारी की यह राय है कि जहाँ उप–धारा (8) के खंड (एक) या उप–धारा (9) के खंड (एक) के अधीन संदत्त रकम, वास्तविक रूप से संदेय रकम से कम है, वहाँ ऐसी रकम के संबंध में, जो वास्तविक रूप से संदेय रकम से कम है, तो वह उप–धारा (1) में यथा उपबंधित सूचना करने के लिए अग्रसर होगा।

(11) उप–धारा (8) के खंड (एक) या खंड (दो) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उप–धारा (5) के खंड (एक) के अधीन वहाँ शास्ति संदेय होगी, जहाँ स्व–निर्धारित कर की कोई रकम या कर के रूप में संग्रहीत कोई रकम, ऐसे कर के संदाय की देय तारीख से तीस दिन की कालावधि के भीतर संदत्त नहीं की गई है।

(12) वित्तीय वर्ष 2024–25 से संबंधित कर के अवधारण के लिए इस धारा के उपबंध लागू होंगे।

स्पष्टीकरण 1.–इस धारा के प्रयोजनों के लिए,–

(एक) "उक्त सूचना के संबंध में सभी कार्यवाहियां" पद में धारा 132 के अधीन कार्यवाहियाँ सम्मिलित नहीं होंगी;

(दो) जहाँ उन्हीं कार्यवाहियों के अधीन कर का संदाय करने के लिए दायी मुख्य व्यक्ति, और किन्हीं अन्य व्यक्तियों को सूचना जारी की जाती है और मुख्य व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी कार्यवाहियाँ, इस धारा के अधीन समाप्त हो गई हैं, वहां धारा 122 और धारा 125 के अधीन शास्ति का संदाय करने के लिए दायी सभी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाहियाँ समाप्त हुई समझी जाएंगी।

स्पष्टीकरण 2.–इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, "छिपाना" पद से ऐसे तथ्यों या जानकारी की घोषणा न करना अभिप्रेत है जिसके द्वारा कराधेय

व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि वह इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन प्रस्तुत की गई विवरणी, विवरण, रिपोर्ट या किसी अन्य दस्तावेज में समुचित अधिकारी द्वारा लिखित में, या पूछे जाने पर कोई जानकारी प्रस्तुत करने की असफलता की घोषणा करे।

धारा 75 का संशोधन।

27. मूल अधिनियम की धारा 75 में,–

(एक) उप–धारा (1) में, शब्द तथा अंक "धारा 74 की उपधारा (2) और उपधारा (10)" के पश्चात्, शब्द, अंक तथा चिन्ह "या 74क की उप–धारा (2) और (7)" अंतःस्थापित की जाए;

(दो) उप–धारा (2) के पश्चात, निम्नलिखित उप–धारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात्:–

"(2क) जहाँ किसी अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि धारा 74क की उप–धारा (5) के खंड (दो) के अधीन शास्ति इस कारण से पोषणीय नहीं है कि कर अपवंचन के लिए कपट या जानबूझकर किए गए किसी मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने के आरोप उस व्यक्ति के विरुद्ध सिद्ध नहीं किए गए हैं, जिसे सूचना जारी की गई थी, तो ऐसे व्यक्ति द्वारा शास्ति का संदाय धारा 74क की उप–धारा (5) के खंड (एक) के अधीन होगा।" ;

(तीन) उप–धारा (10) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–धारा प्रतिस्थापित की जाए, अर्थात्:–

"(10) न्याय निर्णयन कार्यवाहियाँ समाप्त हुई समझी जाएंगी, यदि आदेश धारा 73 की उप–धारा (10) या धारा 74 की उप–धारा (10) या धारा 74क की उप–धारा (7) में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर जारी नहीं किया जाता है।" ;

(चार) उप–धारा (11) में, शब्द, अंक तथा चिन्ह "धारा 74 की उपधारा (10) में" के पश्चात्, शब्द, अंक तथा चिन्ह "या धारा 74क की उप–धारा (7) में" अंतःस्थापित किया जाए;

(पाँच) उप–धारा (12) में, शब्द तथा अंक "धारा 73 या धारा 74" के पश्चात्, शब्द तथा अंक "या धारा 74क" अंतःस्थापित की जाए ;

(छः) उप–धारा (13) में, शब्द तथा अंक "धारा 73 या धारा 74" के पश्चात्, शब्द तथा अंक "या धारा 74क" अंतःस्थापित किया जाए।

धारा 104 का संशोधन।

28. मूल अधिनियम की धारा 104 की उप–धारा (1) के स्पष्टीकरण में, शब्द, अंक तथा चिन्ह "या धारा 74 की उपधारा (2) और उपधारा (10)" के पश्चात्, शब्द, अंक तथा चिन्ह "या 74क की उप–धारा (2) और उप–धारा (7)" अंतःस्थापित किया जाए।

धारा 107 का संशोधन।

29. मूल अधिनियम की धारा 107 में,–

(एक) उप–धारा (6) के खंड (ख) के परंतुक में, शब्द "पच्चीस" के स्थान पर, शब्द "बीस" प्रतिस्थापित किया जाए;

(दो) उप–धारा (11) के द्वितीय परंतुक में, शब्द तथा अंक "धारा 73 या धारा 74" के पश्चात्, शब्द तथा अंक "या धारा 74क" अंतःस्थापित किया जाए।

धारा 112 का संशोधन।

30. मूल अधिनियम की धारा 112 में,–

(एक) उप–धारा (1) में, वाक्यांश "उस आदेश जिसके विरूद्ध अपील चाही गई है, अपील करने वाले व्यक्ति को संसूचना की तारीख से," के पश्चात्, वाक्यांश "या वह तारीख, जो इस अधिनियम के अधीन अपील अधिकरण के समक्ष अपील फाइल करने के लिए, परिषद् की सिफारिशों पर, सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, जो भी पश्चात्वर्ती हो" अंतःस्थापित किया जाए;

(दो) उप–धारा (3) में, वाक्यांश "उक्त आदेश पारित किया गया है" के पश्चात्, वाक्यांश "या उस तारीख से, जो इस अधिनियम के अधीन अपील अधिकरण के समक्ष अपील फाइल करने के प्रयोजन के लिए, परिषद् की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, जो भी पश्चातवर्ती हो" अंतःस्थापित किया जाए;

(तीन) उप–धारा (6) में, वाक्यांश "अपील स्वीकार कर

सकेगा" के पश्चात्, वाक्यांश, चिन्ह तथा अंक "या उप–धारा (3) में निर्दिष्ट कालावधि के अवसान के पश्चात् तीन मास के भीतर आवेदन फाइल करना अनुज्ञात कर सकेगा" अंतःस्थापित किया जाए;

(चार) उप–धारा (8) के खंड (ख) में,–

(क) शब्द "बीस प्रतिशत" के स्थान पर, शब्द "दस प्रतिशत" प्रतिस्थापित किया जाए;

(ख) शब्द "पचास करोड़ रूपए" के स्थान पर, शब्द "बीस करोड़ रूपए" प्रतिस्थापित किया जाए।

धारा 122 का संशोधन।

31. मूल अधिनियम की धारा 122 की उप–धारा (1ख) में, वाक्यांश "कोई इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक" के स्थान पर, वाक्यांश तथा अंक "कोई इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक, जो धारा 52 के अधीन स्त्रोत पर कर संग्रहण के लिए दायी है," प्रतिस्थापित किया जाए।

धारा 127 का संशोधन।

32. मूल अधिनियम की धारा 127 में, शब्द तथा अंक "धारा 73 या धारा 74" के पश्चात्, शब्द तथा अंक "या धारा 74क" अंतःस्थापित किया जाए।

नवीन धारा 128क का अंतःस्थापन।

33. मूल अधिनियम की धारा 128 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा जोड़ी जाए, अर्थात्:–

"128क. कतिपय कर अवधियों के लिए, धारा 73 के अधीन की गई मांगों से संबंधित ब्याज या शास्ति या दोनों का अधित्यजन.– (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, जहाँ किसी व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित के अनुसार कर से प्रभार्य कोई रकम संदेय है,–

(क) धारा 73 की उप–धारा (1) के अधीन जारी सूचना या धारा 73 की उप–धारा (3) के अधीन जारी कथन और जहाँ धारा 73 की उप–धारा (9) के अधीन कोई आदेश जारी नहीं किया गया है; या

(ख) धारा 73 की उप–धारा (9) के अधीन पारित आदेश और जहाँ धारा 107 की उप–धारा (11) या धारा 108 की उप–धारा (1) के अधीन कोई आदेश पारित नहीं किया गया है; या

(ग) धारा 107 की उप–धारा (11) या धारा 108 की उप–धारा (1) के अधीन पारित आदेश, और जहाँ धारा 113 की उप–धारा (1) के अधीन कोई आदेश पारित किया गया है,

1 जुलाई, 2017 से 31 मार्च, 2020 की कालावधि या उसके भाग से संबंधित है, और उक्त व्यक्ति, परिषद् की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित की जाने वाली तारीख को या उसके पूर्व, यथास्थिति, खंड (क), खंड (ख) या खंड (ग) में निर्दिष्ट सूचना या कथन या आदेश के अनुसार संदेय कर की पूरी रकम का संदाय करता है, धारा 50 के अधीन कोई ब्याज और इस अधिनियम के अधीन कोई शास्ति संदेय नहीं होगी और, यथास्थिति, उक्त सूचना या आदेश या कथन के संबंध में सभी कार्यवाहियाँ ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, समाप्त हुई समझी जाएंगी:

परंतु यह कि जहाँ धारा 74 की उप–धारा (1) के अधीन कोई सूचना जारी की गई है और धारा 75 की उप–धारा (2) के उपबंधों के अनुसार अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय के निर्देश के अनुसरण में, समुचित अधिकारी द्वारा कोई आदेश पारित किया जाता है या पारित किया जाना अपेक्षित है, यथास्थिति, उक्त सूचना या आदेश, इस उप–धारा के खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट सूचना या आदेश माना जाएगा:

परंतु यह और कि उन मामलों में, जहाँ आवेदन धारा 107 की उप–धारा (3) या धारा 112 की उप–धारा (3) के अधीन फाइल किया जाता है या धारा 117 की उप–धारा (1) के अधीन या धारा 118 की उप–धारा (1) के अधीन राज्य कर के किसी अधिकारी द्वारा अपील फाइल की जाती है या जहाँ खंड (ख) या खंड (ग) में निर्दिष्ट आदेश के विरुद्ध या पहले परंतुक में निर्दिष्ट अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय के निर्देशों के विरुद्ध धारा 108 की उप–धारा (1) के अधीन कोई कार्यवाही आरंभ की जाती हैं, वहाँ इस उप–धारा के अधीन कार्यवाहियों की समाप्ति इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त व्यक्ति उक्त आदेश की तारीख से तीन मास के भीतर, यथास्थिति, अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय या पुनरीक्षण प्राधिकारी के आदेश के अनुसार संदेय कर की अतिरिक्त रकम, यदि कोई हो, का संदाय करता है:

परंतु यह भी कि जहाँ ऐसा ब्याज और शास्ति पहले ही संदत्त कर दी गई है, उसका कोई प्रतिदाय उपलब्ध नहीं होगा।

(2) उप–धारा (1) में अंतर्विष्ट कोई बात, त्रुटिवश प्रतिदाय के मद्दे किसी व्यक्ति के द्वारा संदेय किसी रकम के संबंध में लागू नहीं होगी।

(3) उप–धारा (1) की कोई बात, उन मामलों के संबंध में लागू नहीं होगी, जहाँ, यथास्थिति, अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय के समक्ष उक्त व्यक्ति द्वारा फाइल की गई कोई अपील या रिट याचिका लंबित है, और उक्त व्यक्ति द्वारा उप–धारा (1) के अधीन अधिसूचित तारीख को या उसके पूर्व वापस नहीं ली गई है।

(4) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहाँ उप–धारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट कोई रकम संदत्त की गई है और उक्त उप–धारा के अधीन कार्यवाहियाँ समाप्त हुई समझी जाती हैं, वहाँ धारा 107 की उप–धारा (1) या धारा 112 की उप–धारा (1) के अधीन कोई अपील, यथास्थिति, उप–धारा (1) के खंड (ख) या खंड (ग) में निर्दिष्ट किसी आदेश के विरुद्ध नहीं होगी।"

धारा 171 का संशोधन।

34. मूल अधिनियम की धारा 171 की उप–धारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक तथा स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"परंतु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, उस तारीख को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिससे उक्त प्राधिकारी इस विषय में परीक्षा के लिए कोई अनुरोध स्वीकार नहीं करेगा कि क्या किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा लिए गए इनपुट कर प्रत्ययों या कर की दर में कमी, वास्तव में उसके द्वारा प्रदाय किए गए माल या सेवाओं या दोनों की कीमत में आनुपातिक कमी के परिणामस्वरूप है।

स्पष्टीकरण 1.–इस उप–धारा के प्रयोजनों के लिए, "परीक्षा के लिए अनुरोध" से अभिप्रेत है कि क्या किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा लिए गए इनपुट कर प्रत्ययों या कर की दर में कमी से वास्तव में उसके द्वारा प्रदाय किए गए माल या सेवाओं या दोनों की कीमत में आनुपातिक कमी हुई है, परीक्षा का अनुरोध करने के लिए आवेदक द्वारा फाइल

किया गया लिखित आवेदन अभिप्रेत है।

स्पष्टीकरण 2.—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "प्राधिकारी" पद में "अपील अधिकरण" सम्मिलित होगा।"

35. मूल अधिनियम की अनुसूची 3 के पैरा 8 पश्चात् एवं स्पष्टीकरण–1 के पूर्व, निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:— अनुसूची 3 का संशोधन।

"9. इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए कि मुख्य बीमाकर्ता, बीमा किए गए व्यक्ति द्वारा संदत्त प्रीमियम की संपूर्ण रकम पर केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर और एकीकृत कर का संदाय करता है, सह बीमा करारों में बीमा किए गए बीमाकर्ता को मुख्य बीमाकर्ता और सह–बीमाकर्ता द्वारा संयुक्त रूप से प्रदाय की गई बीमा सेवाओं के लिए मुख्य बीमाकर्ता द्वारा सह–बीमाकर्ता को सह–बीमा प्रीमियम के प्रभाजन का क्रियाकलाप।

10. इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए कि पुनःबीमाकर्ता, बीमा किए गए व्यक्ति द्वारा अध्यर्पित कमीशन या पुनःबीमा कमीशन सहित संदत्त पुनःबीमा प्रीमियम की संपूर्ण रकम पर केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर और एकीकृत कर का संदाय करता है, बीमाकर्ता द्वारा पुनः बीमाकर्ता की सेवाएं, जिसके लिए अध्यर्पित कमीशन या पुनःबीमा कमीशन, पुनःबीमाकर्ता को बीमाकर्ता द्वारा संदत्त पुनः बीमा प्रीमियम से कटौती की जाती है।"

उद्देश्यों और कारणों का कथन

छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम) को राज्य सरकार द्वारा माल या सेवा या दोनों के अंतरा–राज्यीय प्रदाय पर कर के उद्ग्रहण और संग्रहण करने हेतु उपबंध करने की दृष्टि से अधिनियमित किया गया था।

2. यतः मानवीय उपभोग के लिए अल्कोहल के विनिर्माण के लिए प्रयुक्त अतिरिक्त निष्प्रभावी अल्कोहल पर राज्य कर का उद्ग्रहण न किये जाने, उद्गृहित नहीं किए गए या कम उद्गृहीत किए गए माल और सेवा कर की वसूली नहीं करने की शक्ति प्रदान करने, और कतिपय कर अवधियों के लिए धारा 73 के अधीन की गई मांगों से संबंधित ब्याज या शास्ति या दोनों का अधित्यजन करने हेतु नवीन धारा 128क का अंतःस्थापन करने के लिए अधिनियम में संशोधन किया जाना अपेक्षित है।

उक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए और केन्द्र सरकार द्वारा वित्त अधिनियम, 2024 के माध्यम से पूर्व में किए गए संशोधनों के अनुक्रम में, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।

3. प्रस्तावित छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024 में, अन्य बातों के साथ–साथ मुख्य रूप से निम्नलिखित के लिए उपबंध है, अर्थात् :–

(एक) विधेयक का खंड 02, उक्त अधिनियम की धारा 9 (1) के संशोधन के लिए है ताकि अतिरिक्त निष्प्रभावी एल्कोहल को जीएसटी की परिधि से बाहर रखा जा सके;(2)

(दो) विधेयक का खंड 04, उक्त अधिनियम में नवीन धारा 11(क) को अंतःस्थापित करने के लिए है, ताकि कम दर से उद्गृहित किये गये या उद्गृहित नहीं किये गये कर को विनियमित करने हेतु शासन को सशक्त बनाया जा सके;

(तीन) विधेयक का खंड 26 उक्त अधिनियम की धारा 73 एवं 74 के अधीन कार्यवाहियों के संबंध में समय–सीमा विनिर्धारित करने हेतु नवीन धारा 74(क) के अंतःस्थापन करने के लिए है।

(चार) विधेयक का खंड 29 उक्त अधिनियम की धारा 107(6) का संशोधन करने के लिए है, ताकि अपील फाईल करने के लिए निक्षेप की अधिकतम राशि को 25 करोड़ रूपये से घटाकर 20 करोड़ रूपये किया जा सके;

(पाँच) विधेयक का खंड 33 उक्त अधिनियम में नवीन धारा 128(क) के अंतःस्थापित करने के लिए है, ताकि वर्ष 2017–18 से 2019–20 के लिए निकाली गई मांग के संबंध में ब्याज और शास्ति के सशर्त अधित्यजन के लिए उपबंध किया जा सके;

(छः) विधेयक के खंड 03, 08, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 28 एवं 32, नवीन धारा 74(क) के प्रति निर्देश को अंतःस्थापित करने के लिए है;

4. अतएव विधेयक, उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए

रायपुर,
दिनांक 11 दिसम्बर,2024

ओ.पी. चौधरी
वाणिज्यिक कर (जी.एस.टी.) मंत्री
(भारसाधक सदस्य)

उपाबंध

छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 7 सन् 2017) से उद्धरण

अध्याय 3
कर का उद्ग्रहण और संग्रहण

उद्ग्रहण और संग्रहण.

9. (1) उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, मानवीय उपभोग के लिए मद्यसारिकपान के प्रदाय को छोडकर, माल या सेवाओं या दोनों के सभी अंतरराज्यिक प्रदायों पर, धारा 15 के अधीन अवधारित मूल्य पर और बीस प्रतिशत से अनधिक ऐसी दरों पर, जो सरकार द्वारा, परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित की जाए, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नामक कर का, ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, उद्ग्रहण और संग्रहण किया जाएगा और जो कराधेय व्यक्ति द्वारा संदत्त किया जाएगा ।

प्रशमन उद्ग्रहण.

10. (5) यदि समुचित अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि किसी कराधेय व्यक्ति ने पात्र न होते हुए भी, यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (2क) के अधीन कर संदत्त कर दिया है तो ऐसा व्यक्ति, किसी ऐसे कर के अतिरिक्त, जो इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन उसके द्वारा संदेय हो, शास्ति का दायी होगा और धारा 73 या धारा 74 के उपबंध यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित कर और शास्ति के अवधारण के लिए लागू होंगे।

स्पष्टीकरण 1– इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति की कर संदाय करने की पात्रता का अवधारण करने के लिए इसके सकल आवर्त की संगणना करने के प्रयोजनों लिए, शब्द "सकल आवर्त" के अंतर्गत किसी वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल से उस तारीख तक के प्रदाय सम्मिलित होंगे, जिसको वह इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण का दायी बन जाता है, किन्तु जहां तक प्रतिफल को ब्याज या बट्टे के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, निक्षेपों, ऋणों या अग्रिमों के रूप में दिए गए छूट प्राप्त सेवाओं के प्रदाय का मूल्य सम्मिलित नहीं होगा।

स्पष्टीकरण 2– इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा संदेय कर का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए, शब्द "राज्य में आवर्त" में निम्नलिखित प्रदायों का मूल्य सम्मिलित नहीं होगा, अर्थात्:–

(एक) किसी वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल से उस तारीख तक की प्रदायों, जिसको ऐसा व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण का दायी बन जाता है; और

(दो) जहां तक प्रतिफल को ब्याज या बट्टे के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, निक्षेपों, ऋणों या अग्रिमों के रूप में दिए गए छूट प्राप्त सेवाओं का प्रदाय।

कर से छूट देने की शक्ति.

11. (1) जहां सरकार का यह समाधान हो जाता है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, वहां वह, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, साधारणतया या तो पूर्ण रूप से या ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं, उस तारीख से, जो ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, किसी विनिर्दिष्ट, विवरण के माल या सेवाओं या दोनों को उस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण कर से या उसके किसी भाग से छूट दे सकेगी ।

(2) जहां सरकार का यह समाधान हो जाता है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, वहां वह, परिषद् की सिफारिशों पर, प्रत्येक मामले में विशेष आदेश द्वारा, ऐसे आदेश में कथित अपवादिक प्रकृति की परिस्थितियों के अधीन ऐसे किसी माल या सेवाओं या दोनों को, जिन पर कर उद्ग्रहणीय है, कर के संदाय से छूट दे सकेगी ।

(3) सरकार, यदि वह उपधारा (1) के अधीन जारी किसी अधिसूचना की या उपधारा (2) के अधीन जारी आदेश की परिधि या लागू किए जाने को स्पष्ट करने के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझती है तो, उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना या उपधारा (2) के अधीन आदेश जारी होने के एक वर्ष के भीतर किसी समय अधिसूचना द्वारा, यथास्थिति, ऐसी अधिसूचना या ऐसे आदेश में स्पष्टीकरण अंत:स्थापित कर सकेगी और ऐसे प्रत्येक स्पष्टीकरण का वही प्रभाव होगा मानों वह, सदैव, यथास्थिति, ऐसी पहली अधिसूचना या आदेश का भाग था।

(4) केंद्रीय सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन जारी किसी अधिसूचना या उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन जारी किसी आदेश को यथास्थिति इस अधिनियम के अधीन जारी अधिसूचना या आदेश, समझा जाएगा ।

स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजनों के लिए, जहां किसी माल या सेवा या दोनों के संबंध में, उस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण कर से या उसके किसी भाग से पूर्ण रूप से छूट दी गई है, वहां ऐसे माल या सेवाओं या दोनों का प्रदाय करने वाला रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय पर प्रभावी दर से अधिक कर का संग्रहण नहीं करेगा।

* * * * * *

अध्याय 4

प्रदाय का समय और मूल्य

सेवाओं के प्रदाय का समय.

13. (3) ऐसे प्रदायों की दशा में, जिसके संबंध में, विपरीत प्रभार के आधार पर कर का संदाय किया जाता है या कर संदेय है, प्रदाय का समय निम्नलिखित तारीखों से पूर्वतर होगा, अर्थात्:—

(क) संदाय की तारीख, जो प्राप्तिकर्ता की लेखा–पुस्तकों में प्रविष्ट है या वह तारीख, जिसको उसके बैंक खाते से संदाय का विकलन किया जाता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो ; या

(ख) प्रदायकर्ता द्वारा बीजक या उसके बजाए कोई अन्य दस्तावेज, चाहे जिस नाम से ज्ञात हो, जारी किए जाने की तारीख से साठ दिन के ठीक पश्चात्वर्ती तारीख ;

परंतु जहां खंड (क) या खंड (ख) के अधीन प्रदाय के समय का अवधारण संभव नहीं है, वहां प्रदाय का समय, प्रदाय के प्राप्तिकर्ता की लेखा–पुस्तकों में प्रविष्टि की तारीख होगी ;

परंतु यह और कि सहयुक्त उद्यमों द्वारा प्रदाय की दशा में, जहां सेवा का प्रदायकर्ता भारत से बाहर स्थित है, वहां, प्रदाय का समय, प्रदाय के प्राप्तिकर्ता की लेखा–पुस्तकों में प्रविष्टि की तारीख या संदाय की तारीख, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, होगा।

इनपुट कर प्रत्यय लेने के लिए पात्रता और शर्तें.

16. (4) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उस वित्तीय वर्ष के, जिससे ऐसा बीजक या ऐसे नामे नोट संबंधित है, अंत के अगले तीस नवंबर तारीख या सुसंगत वार्षिक विवरणी देने के लिए, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, के पश्चात् माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के लिए किसी बीजक या नामे नोट के संबंध में, इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार नहीं होगा ।

प्रत्यय और निरुद्ध प्रत्ययों का प्रभाजन.

17. (5) (झ) धारा 74, धारा 129 और धारा 130 के उपबंधों के अनुसार संदत्त कोई कर।

आधिक्य में वितरित प्रत्यय के वसूली की रीति.

21. जहां इनपुट सेवा कर वितरक, धारा 20 में अंतर्विष्ट उपबंधों के उल्लंघन में प्रत्यय का ऐसा वितरण करता है, जिसके परिणामस्वरूप प्रत्यय के एक या अधिक प्राप्तिकर्ताओं को आधिक्य में प्रत्यय का वितरण हो जाता है वहां ऐसे प्राप्तिकर्ताओं से इस प्रकार वितरित आधिक्य प्रत्यय ब्याज के साथ वसूल किया जाएगा और, यथास्थिति, धारा 73 या धारा 74 के उपबंध वसूल किए जाने वाली रकम के अवधारण के लिए यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे ।

* * * * * *

अध्याय 6
रजिस्ट्रीकरण

रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण का प्रतिसंहरण.

30. (2) समुचित अधिकारी, ऐसी रीति में और ऐसी अवधि में जो आदेश द्वारा विहित की जाए, या तो रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण का प्रतिसंहरण कर सकेगा या आवेदन को खारिज कर सकेगा :

परंतु रजिस्ट्रीकरण के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन, आवेदक को सुनवाई का अवसर दिए बिना खारिज नहीं किया जाएगा ।

* * * * * *

अध्याय 7
कर बीजक, प्रत्यय और विकलन टिप्पण

कर बीजक

31. (3) उपधारा (1) और उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,—

(च) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन कर संदत्त करने के लिए दायी है, उसके द्वारा किसी ऐसे प्रदाता से, जो रजिस्ट्रीकृत नहीं है, प्राप्त माल या सेवाओं या दोनों की प्राप्ति की तारीख को माल या सेवाओं या दोनों के संबंध में कोई बीजक जारी करेगा;

(छ) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन कर संदत्त करने के लिए दायी है, प्रदायकर्ता, जो अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं है, को संदाय करते समय कोई संदाय वाउचर जारी करेगा ।

* * * * * *

अध्याय 8

लेखे और अभिलेख

लेखे और अन्य अभिलेख. 35. (6) धारा 17 की उपधारा (5) के खंड (ज) के उपबंधों के अध्यधीन जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उपधारा (1) के अनुसार माल या सेवाओं या दोनों का लेखा देने में विफल रहता है, वहां समुचित अधिकारी माल या सेवाओ या दोनों पर संदेय कर की रकम, जिसका लेखा नहीं दिया गया है, अवधारित करेगा, मानो ऐसा माल या सेवाएं या दोनों की ऐसी व्यक्ति द्वारा पूर्ति की गई थी और, यथास्थिति, धारा 73 या धारा 74 के उपबंध ऐसे कर के अवधारण के लिए आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे ।

* * * * * *

अध्याय 9
विवरणियां

विवरणियां देना. 39. (3) धारा 51 के उपबंधों के अधीन स्रोत पर कर की कटौती करने के लिए अपेक्षित प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, उस मास के लिए जिसमें ऐसी कटौती ऐसे मास की समाप्ति के पश्चात् दस दिन के भीतर, की गई है, की विवरणी इलैक्ट्रानिक रूप में देगा।

* * * * * *

अध्याय 9
विवरणियां

कर, ब्याज, शास्ति और अन्य रकमों का संदाय. 49. (8) प्रत्येक कराधेय व्यक्ति इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन अपने कर और अन्य शोध्यों का निम्नलिखित क्रम में निर्वहन करेगा, अर्थात् :—

(क) स्व–निर्धारित कर और अन्य पूर्व कर कालावधियों से संबंधित विवरणियों के शोध्य ;

(ख) स्व–निर्धारित कर और अन्य चालू कर कालावधियों से संबंधित विवरणियों के शोध्य ;

(ग) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन संदेय कोई अन्य रकम, जिसके अंतर्गत धारा 73 या धारा 74 के अधीन अवधारित मांग भी शामिल है ।

विलंबित कर संदाय पर ब्याज. 50. (1) प्रत्येक व्यक्ति, जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में कर का संदाय करने का दायी है, किंतु सरकार को विहित अवधि के भीतर कर या उसके किसी भाग का संदाय करने में असफल रहता है, उस अवधि के लिए जिसके दौरान कर या उसका कोई भाग असंदत्त रहता है, स्वयं, ऐसी दर पर ब्याज का, जो अठारह प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, जैसा सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित किया जाए, संदाय करेगा ।

परंतु धारा 39 के उपबंधों के अनुसार, किसी कर अवधि के दौरान की गई पूर्तियों के संबंध में और शोध्य तारीख के पश्चात् उक्त अवधि के लिए प्रस्तुत विवरणी में घोषित संदेय कर पर ब्याज, सिवाय वहां के जहां ऐसी विवरणी उक्त अवधि के संबंध में धारा 73 या धारा 74 के अधीन कोई कार्यवाहियां आरंभ होने के पश्चात् प्रस्तुत की जाती है, कर के उस भाग के

लिए संदेय होगा, जिसे इलेक्ट्रानिक नकद लेजर से विकलन करके संदत्त किया जाता है।

* * * * * *

अध्याय 9
विवरणियां

स्त्रोत पर कर कटौती. 51. (7) इस धारा के अधीन व्यतिक्रम की रकम का अवधारण धारा 73 या धारा 74 में विनिर्दिष्ट रीति में किया जाएगा ।

* * * * * *

अध्याय 10
कर संदाय

कर प्रतिदाय. 54. (3) उपधारा (10) के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति कर अवधि के अंत में ऐसे इनपुट कर प्रत्यय का, जिसका उपयोग नहीं किया गया है, प्रतिदाय का दावा कर सकेगा :

परंतु निम्नलिखित से भिन्न मामलों में उपयोग न किए गए इनपुट कर प्रत्यय के प्रतिदाय का कोई दावा अनुज्ञात नहीं किया जाएगा–

(i) कर का संदाय किए बिना की गई शून्य दर प्रदाय ;

(ii) जहां इनपुट पर कर की दर मद्दे, सिवाय मालों या सेवाओं या दोनों के प्रदायों के जैसा कि परिषद् की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, बहिर्गामी प्रदायों (शून्य मूल्यांकित या पूर्णतः छूट प्राप्त से भिन्न) पर कर की दर से उच्चतर होने के लेखे संचित हुआ है :

परंतु यह और कि इनपुट कर प्रत्यय, जिसका उपयोग नहीं किया गया है, के प्रतिदाय को उन मामलों में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जहां भारत से निर्यात किए गए माल निर्यात शुल्क की शर्त के अधीन है :

परंतु यह भी कि इनपुट कर प्रत्यय के किसी प्रतिदाय को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, यदि मालों या सेवाओं या दोनों का प्रदायकर्ता ऐसी प्रदायों पर संदत्त एकीकृत कर के प्रतिदाय का दावा करता है।

(14) इस धारा में किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी उपधारा (5) या उपधारा (6) के अधीन किसी प्रतिदाय का, आवेदक को संदाय नहीं किया जाएगा यदि रकम एक हजार रूपए से कम है ।

स्पष्टीकरण– इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(1) "प्रतिदाय" में शून्य दर मालों या सेवाओं या दोनों की प्रदाय या ऐसे शून्य दर प्रदायों को करने के लिए उपयोग किए गए इनपुट या इनपुट सेवाओं के लिए कर का प्रतिदाय या माने गए निर्यात के रूप में मालों की प्रदाय पर कर प्रतिदाय या उपधारा (3) के अधीन यथा उपबंधित उपयोग न किया गया इनपुट कर प्रत्यय का प्रतिदाय सम्मिलित है।

(2) "सुसंगत तारीख" से अभिप्रेत है–

(क) भारत से निर्यात किए गए मालों की दशा में, यथास्थिति, जहां ऐसे

मालों के लिए स्वयं या ऐसे मालों में उपयोग किए गए इनपुट या इनपुट सेवाओं के संबंध में संदत्त कर का प्रतिदाय उपलब्ध है,—

(i) यदि मालों का निर्यात समुद्र या वायु मार्ग द्वारा किया जाता है तो वह तारीख जिसको पोत या वह वायुयान, जिसमें ऐसे मालों की लदाई की जाती है, भारत छोड़ता है ; या

(ii) यदि मालों का निर्यात भूमि मार्ग से किया जाता है तो वह तारीख जिसको ऐसे माल सीमा से गुजरते हैं ; या

(iii) यदि मालों का निर्यात डाक द्वारा किया जाता है तो संबंधित डाकघर द्वारा भारत से बाहर स्थान को मालों के पारेषण की तारीख ;

(ख) माने गए निर्यात के संबंध में मालों की प्रदाय की दशा में जहां संदत्त कर का प्रतिदाय मालों के संबंध में उपलब्ध है, वह तारीख जिस पर ऐसे समझे गए निर्यातों के संबंध में विवरणी प्रस्तुत की गई है ;

(खक) (खक) विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता या विशेष आर्थिक जोन इकाई को शून्य दर पर माल या सेवाओं अथवा दोनों की पूर्ति की दशा में, जहाँ, यथास्थिति, उन्हें ऐसी पूर्ति या ऐसी पूर्ति में प्रयुक्त इनपुट या इनपुट सेवाओं के संबंध में संदत्त कर का प्रतिदाय उपलब्ध है, ऐसी पूर्तियों के संबंध में धारा 39 के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिए नियत तारीख;

(ग) भारत से बाहर सेवाओं के निर्यात की दशा में जहां संदत्त कर का प्रतिदाय, यथास्थिति, सेवाओं के लिए स्वयं या ऐसी सेवाओं में उपयोग किए गए इनपुट या इनपुट सेवाओं के संबंध में उपलब्ध है तो निम्नलिखित की तारीख–

(i) संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में संदाय की रसीद, जहां सेवाओं की प्रदाय को ऐसे संदाय की प्राप्ति से पूर्व पूरा कर लिया गया है; या

(ii) बीजक जारी करना, जहां सेवाओं के लिए संदाय को बीजक जारी करने से पूर्व अग्रिम में प्राप्त् कर लिया गया था ;

(घ) उस दशा में जहां कर किसी अपील प्राधिकारी, अपील अधिकरण या किसी न्यायालय के निर्णय, डिक्री, आदेश या निदेश के परिणामस्व रूप कर प्रतिदेय हो जाता है तो ऐसे निर्णय, डिक्री, आदेश या निदेश के संसूचना की तारीख ;

(ङ) उपधारा (3) के अधीन उपयोग न किए गए इनपुट कर प्रत्यय की दशा में उस वित्त वर्ष का अंत, जिसमें ऐसे प्रतिदाय का दावा उदभूत होता है ;

(च) उस दशा में, जहां कर का अनंतिम रूप से इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन संदाय किया जाता है तो कर के अंतिम निर्धारण के पश्चात् समायोजन की तारीख ;

(छ) प्रदायकर्ता से भिन्न; किसी व्यक्ति की दशा में ऐसे व्यक्ति द्वारा मालों या सेवाओं या दोनों की प्राप्ति की तारीख ; और

(ज) किसी और दशा में कर के संदाय की तारीख।

* * * * * *

अध्याय 12
निर्धारण

विवरणिया की संवीक्षा.

61. (3) समुचित अधिकारी द्वारा सूचित किए जाने के तीस दिन की कालावधि के भीतर या ऐसी और कालावधि, जो उसके द्वारा अनुज्ञात की जाए, में समाधानप्रद स्पष्टीकरण प्रस्तुत न किए जाने की दशा में या जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति विसंगतियों को स्वीकार करने के पश्चात् उस मास की विवरणी में, जिसमें विसंगति स्वीकार की गई थी, सुधारकारी उपाय करने में असफल रहता है तो समुचित अधिकारी समुचित कार्रवाई आरंभ कर सकेगा, जिसके अंतर्गत धारा 65 या धारा 66 या धारा 67 के अधीन कार्रवाईयां हैं या धारा 73 या धारा 74 के अधीन कर और अन्य शोध्यों का अवधारण करने के लिए अग्रसर होगा।

विवरणिया को फाइल न करने वालों का निर्धारण.

62. (1) धारा 73 या धारा 74 में तत्प्रतिकूल किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी जहां कोई व्यक्ति धारा 39 या धारा 45 के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने में धारा 46 के अधीन सूचना की तामील के पश्चात् भी असफल रहता है तो समुचित अधिकारी उक्त व्यक्ति का अपनी सर्वोत्तम जानकारी और उपलब्ध तात्विक सामग्री या वह सामग्री, जिसको उसने एकत्रित किया है, को गणना में लेने के पश्चात् कर के लिए निर्धारण करने के लिए अग्रसर होगा तथा वित्तीय वर्ष, जिसके लिए असंदत्त कर संबंधित है, की वार्षिक विवरणी को प्रस्तुत करने के लिए धारा 44 के अधीन विनिर्दिष्ट तारीख से पांच वर्ष की अवधि के भीतर निर्धारण का आदेश जारी करेगा ।

अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का निर्धारण.

63. धारा 73 या धारा 74 में तत्प्रतिकूल किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी, जहां कोई कराधेय व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी होते हुए भी उसे अभिप्राप्त करने में असफल रहता है या जिसका रजिस्ट्रीकरण धारा 29 की उपधारा (2) के अधीन रद्द कर दिया गया है किंतु जो कर का संदाय करने का दायी था तो समुचित अधिकारी उक्त कराधेय व्यक्ति का अपनी सर्वोत्तम जानकारी के आधार पर संबंधित कर अवधि के लिए कर दायित्व का निर्धारण करने के लिए अग्रसर होगा तथा वित्तीय वर्ष, जिसके लिए असंदत्त कर संबंधित है, की वार्षिक विवरणी को प्रस्तुत करने के लिए धारा 44 के अधीन विनिर्दिष्ट तारीख से पांच वर्ष की अवधि के भीतर निर्धारण का आदेश जारी करेगा :

परंतु व्यक्ति को सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना ऐसा कोई निर्धारण आदेश पारित नहीं किया जाएगा।

कतिपय विशेष मामलों में संक्षिप्त निर्धारण.

64. (2) उपधारा (1) के अधीन पारित आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर कराधेय व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन पर या स्वयं अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त यह विचार करता है कि ऐसा आदेश त्रुटिपूर्ण है तो वह ऐसे आदेश को प्रत्याहृत कर सकेगा और धारा 73 और धारा 74 में अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा ।

* * * * * *

अध्याय 13
लेखा परीक्षा

कर प्राधिकारियों द्वारा लेखा परीक्षा.

65. (7) जहां उपधारा (1) के अधीन संचालित लेखापरीक्षा का परिणाम कर का संदाय न करना का पता लगने या कम कर संदत्त किए जाने या त्रुटिवश प्रतिदाय किए जाने या इनपुट कर प्रत्यय को गलत तरीके से लेने या उपयोग करने के रूप में होता है तो समुचित अधिकारी धारा 73 या धारा 74 के अधीन कार्रवाई आरंभ कर सकेगा ।

विशेष लेखापरीक्षा.

66. (6) जहां उपधारा (1) के अधीन संचालित विशेष लेखापरीक्षा का परिणाम कर का संदाय न करने का पता लगने या कम कर संदत्त किए जाने या त्रुटिवश प्रतिदाय किए जाने या इनपुट कर प्रत्यय को गलत तरीके से लेने या उपयोग करने के रूप में होता है तो समुचित अधिकारी धारा 73 या धारा 74 के अधीन कार्रवाई आरंभ करेगा ।

* * * * * *

अध्याय 14
निरीक्षण, तलाशी, अभिग्रहण और गिरफ्तारी

व्यक्तियों को साक्ष्य देने और दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए समन करने की शक्ति.

70. (1) इस अधिनियम के अधीन समुचित अधिकारी को किसी व्यक्ति को समन करने की, जिसकी उपस्थिति को किसी जांच में वह साक्ष्य देने के लिए या किसी दस्तावेज या किसी वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक समझता है, उसी रीति में शक्ति होगी जैसा कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी सिविल न्यायालय को दी गई है ।

* * * * * *

अध्याय 15
मांग और वसूली

कपट या जानबूझकर कोई मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने के किसी कारण को छोड़कर असंदत्त कर या कम संदत्त या त्रुटिवश प्रदाय या

73. (i) पार्श्व शीर्ष में, "कर का निर्धारण" शब्दों के पश्चात्, "वित्तीय वर्ष 2023–24 तक की अवधि से संबंधित" शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(11) उपधारा (6) या उपधारा (8) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी उपधारा (9) के अधीन शास्ति वहां संदेय होगी जहां स्व–निर्धारित कर या कर के रूप में एकत्रित किसी रकम को ऐसे कर के संदाय की तारीख से तीस दिन की कालावधि के भीतर संदत्त नहीं किया गया है।

गलति से लिए गए या उपयोग किये गए इनपुट कर प्रत्यय का निर्धारण.

(i) पार्श्व शीर्ष में, "कर का निर्धारण" शब्दों के पश्चात्, "वित्तीय वर्ष 2023–24 तक की अवधि से संबंधित" शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे;

कपट या जानबूझकर कोई मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने के कारण असंदत्त कर या कम संदत्त या त्रुटिवश प्रदाय या गलति से लिए गए या उपयोग किये गए इनपुट कर प्रत्यय का निर्धारण.

74. (11) जहां कोई व्यक्ति, जिस पर उपधारा (9) के अधीन आदेश की तामील की गई है, धारा 50 के अधीन उस पर संदेय ब्याज के साथ कर और ऐसे कर के पचास प्रतिशत के समतुल्य शास्ति का आदेश की संसूचना के तीस दिन के भीतर संदाय कर देता है तो ऐसी सूचना के संबंध में सभी कार्यवाहियों को पूरा हुआ समझा जाएगा ।

स्पष्टीकरण 1– धारा 73 एवं इस धारा के प्रयोजनों के लिए,––

(i) शब्द "उक्त सूचना के संबंध में सभी कार्यवाहियां" में धारा 132 के अधीन कार्यवाहियां सम्मिलित नहीं होंगी ;

(ii) जहां उन्हीं कार्यवाहियों के अधीन कर का संदाय करने के लिए दायी मुख्य व्यक्ति और कुछ अन्य व्यक्तियों को सूचना जारी की जाती है और ऐसी कार्यवाहियों को धारा 73 या धारा 74 के अधीन मुख्य व्यक्ति के विरुद्ध पूरा कर लिया गया है **तो धारा 122 और धारा 125 के** अधीन शास्ति का संदाय करने के लिए दायी सभी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाहियों को पूरा हुआ समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण 2– इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, शब्द "छिपाना" से अभिप्रेत होगा ऐसे तथ्यों या जानकारी को घोषित नहीं करना जिससे कराधेय व्यक्ति से इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन विवरणी, विवरण, रिपोर्ट या किसी अन्य दस्तावेज में घोषित करने की अपेक्षा है या लिखित में मांगे जाने पर किसी सूचना को समुचित अधिकारी को प्रस्तुत करने में असफलता ।

कपट या जानबूझकर कोई मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने के कारण असंदत्त कर या कम संदत्त या त्रुटिवश प्रदाय या

74. (1) जहां समुचित अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि किसी कर का संदाय नहीं किया गया है या कम संदाय किया गया है या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है या इनपुट कर प्रत्यय को गलती से लिया गया है या कपट से उसका उपयोग किया गया है या कर अपवंचन के लिए जानबूझकर कोई मिथ्या कथन किया गया है या तथ्यों को छिपाया गया है तो वह कर, जिसका इस प्रकार संदाय नहीं किया गया है या कम संदाय किया गया है या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है या इनपुट कर प्रत्यय को गलती से लिया गया है या कपट से उसका उपयोग किया गया है या कर अपवंचन के लिए जानबूझकर कोई मिथ्या कथन किया गया है या तथ्यों को छिपाया गया है, के लिए प्रभार्य व्यक्ति को हेतुक उपदर्शन करने के लिए सूचना की तामील करेगा कि क्यों न वह सूचना में विनिर्दिष्ट रकम के साथ धारा 50 के अधीन उस पर संदेय ब्याज और इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए

गलति से लिए गए या उपयोग किये गए इनपुट कर प्रत्यय का निर्धारण.

गए नियमों के उपबंधों के अधीन उदग्रहणीय शास्ति का संदाय करे।

(2) समुचित अधिकारी, उपधारा (1) के अधीन सूचना, आदेश जारी करने के लिए उपधारा (10) में विनिर्दिष्ट समय–सीमा से कम से कम छः मास पूर्व जारी करेगा ।

(3) जहां उपधारा (1) के अधीन किसी कालावधि के लिए कोई सूचना जारी की गई है तो समुचित अधिकारी संदत्त न किए गए कर या कम संदत्त किए गए या त्रुटिवश प्रतिदाय किए गए या गलत तरीके से लिए गए या उपधारा (1) के अधीन आने वाली कालावधियों से भिन्न के लिए उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरों को अंतर्विष्ट करते हुए एक विवरण की तामील कर सकेगा ।

(4) उपधारा (3) के अधीन विवरण की तामील को धारा 73 की उपधारा (1) के अधीन सूचना की तामील इस शर्त के अधीन समझा जाएगा कि उक्त विवरण में अवलंब लिए गए आधार, सिवाय कपट के आधार के या उपधारा (1) के अधीन आने वाली कालावधियों से भिन्न कर अपवंचन के लिए किसी जानबूझकर मिथ्या कथन या तथ्यों के छिपाने के लिए अवलंब लिए गए आधार वहीं हैं, जिनका पूर्व सूचना में वर्णन किया गया है ।

(5) कर से प्रभार्य व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन सूचना की तामील से पूर्व धारा 50 के अधीन संदेय ब्याज के साथ कर की रकम का संदाय करेगा और कर के स्व–निर्धारण या समुचित अधिकारी द्वारा निर्धारित कर के आधार पर ऐसे कर की रकम के पन्द्रह प्रतिशत के बराबर शास्ति का संदाय करेगा और समुचित अधिकारी को ऐसे संदाय की लिखित सूचना देगा ।

(6) समुचित अधिकारी ऐसी सूचना की प्राप्ति पर उपधारा (1) के अधीन इस प्रकार किसी संदत्त कर या इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन संदेय किसी शास्ति के संबंध में सूचना की तामील नहीं करेगा ।

(7) जहां समुचित अधिकारी का यह मत है कि उपधारा (5) के अधीन संदत्त रकम वास्तविक रूप से संदेय रकम से कम है तो वह ऐसी रकम के संबंध में, जो वास्तविक रूप से संदेय रकम से कम होती है, के लिए उपधारा (1) में यथा उपबंधित सूचना जारी करने के लिए अग्रसर होगा ।

(8) जहां उपधारा (1) के अधीन कर से प्रभार्य कोई व्यक्ति, धारा 50 के अधीन संदेय ब्याज के साथ उक्त कर का और ऐसे कर के पच्चीस प्रतिशत के बराबर शास्ति का सूचना जारी करने के तीस दिन के भीतर संदाय कर देता है तो उक्त सूचना के संबंध में सभी कार्यवाहियों को पूरा कर लिया गया समझा जाएगा ।

(9) समुचित अधिकारी कर से प्रभार्य व्यक्ति द्वारा किए गए अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् ऐसे व्यक्ति से शोध्य कर की रकम, ब्याज और शास्ति का अवधारण करेगा और आदेश जारी करेगा।

(10) समुचित अधिकारी उपधारा (9) के अधीन उस वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की सम्यक् तारीख से पांच वर्ष के भीतर जिसके लिए कर संदत्त नहीं किया गया था या कम संदत्त किया गया था या इनपुट कर प्रत्यय गलत लिया गया है या गलत उपयोग किया गया है, से त्रुटिवश प्रतिदाय की तारीख से पांच वर्ष के भीतर आदेश जारी करेगा ।

(11) जहां कोई व्यक्ति, जिस पर उपधारा (9) के अधीन आदेश की तामील की गई है, धारा 50 के अधीन उस पर संदेय ब्याज के साथ कर और ऐसे कर के पचास प्रतिशत के समतुल्य शास्ति का आदेश की संसूचना के तीस दिन के भीतर संदाय कर देता है तो ऐसी सूचना के संबंध में सभी कार्यवाहियों को पूरा हुआ समझा जाएगा ।

स्पष्टीकरण 1– धारा 73 एवं इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(i) शब्द "उक्त सूचना के संबंध में सभी कार्यवाहियां" में धारा 132 के अधीन कार्यवाहियां सम्मिलित नहीं होंगी ;

(ii) जहां उन्हीं कार्यवाहियों के अधीन कर का संदाय करने के लिए दायी मुख्य व्यक्ति और कुछ अन्य व्यक्तियों को सूचना जारी की जाती है और ऐसी कार्यवाहियों को धारा 73 या धारा 74 के अधीन मुख्य व्यक्ति के विरुद्ध पूरा कर लिया गया है **तो धारा 122 और धारा 125 के** अधीन शास्ति का संदाय करने के लिए दायी सभी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाहियों को पूरा हुआ समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण 2– इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, शब्द "छिपाना" से अभिप्रेत होगा ऐसे तथ्यों या जानकारी को घोषित नहीं करना जिससे कराधेय व्यक्ति से इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन विवरणी, विवरण, रिपोर्ट या किसी अन्य दस्तावेज में घोषित करने की अपेक्षा है या लिखित में मांगे जाने पर किसी सूचना को समुचित अधिकारी को प्रस्तुत करने में असफलता ।

कर अवधारण के संबंध में साधारण उपबंध.

75. (1) जहां किसी सूचना की तामील या आदेश के जारी करने पर किसी न्यायालय या अपील अधिकरण द्वारा रोक लगा दी जाती है तो ऐसी रोक की अवधि को, यथास्थिति, धारा 73 की उपधारा (2) और उपधारा (10) या धारा 74 की उपधारा (2) और उपधारा (10) में विनिर्दिष्ट अवधि की संगणना करने से विवर्जित किया जाएगा ।

(2) जहां कोई अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि धारा 74 की उपधारा (1) के अधीन इस कारण से भरणीय नहीं है कि कर अपवंचन के लिए कपट या जानबूझकर मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाना उस व्यक्ति के विरुद्ध साबित नहीं होता है जिसको सूचना जारी की गई थी, तो समुचित अधिकारी ऐसे व्यक्ति द्वारा संदेय कर का यह मानते हुए अवधारण करेगा मानों कि धारा 73 की उपधारा (1) के अधीन सूचना जारी की गई थी।

(10) न्यायनिर्णयन कार्यवाहियों को पूरा हुआ समझा जाएगा यदि धारा 73 की उपधारा (10) में यथाउपबंधित तीन वर्ष के भीतर या धारा 74 की उपधारा (10) में यथाउपबंधित पांच वर्ष के भीतर आदेश जारी नहीं किया जाता है ।

(11) कोई विवादक, जिस पर अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या उच्च न्यायालय द्वारा अपना विनिश्चय लिया गया है जो किन्हीं अन्य कार्यवाहियों में राजस्व के हित के प्रतिकूल है और अपील अधिकरण या उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या उच्च न्यायालय के ऐसे विनिश्चय के विरुद्ध कोई अपील लंबित है तो अपील प्राधिकारी और अपील प्राधिकरण के विनिश्चय की तारीख के बीच की कालावधि या अपील अधिकरण और उच्च न्यायालय के विनिश्चय की

तारीख और उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय की तारीख को धारा 73 की उपधारा (10) या धारा 74 की उपधारा (10) में निर्दिष्ट कालावधि की संगणना करने में वहां विवर्जित किया जाएगा जहां कार्यवाहियां उक्त धाराओं के अधीन हेतुक उपदर्शित करने की सूचना जारी करने के माध्यम से संस्थित की गई हैं।

(12) धारा 73 या धारा 74 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहां धारा 39 के अधीन प्रस्तुत विवरणी के अनुसार स्व–निर्धारित कर की कोई रकम पूर्णतः या भागतः असंदत्त रहती है या ऐसे कर पर संदेय ब्याज की कोई रकम असंदत्त रहती है तो उसकी धारा 79 के उपबंधों के अधीन वसूली की जाएगी ।

स्पष्टीकरण :– इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, शब्द "स्वनिर्धारित कर" में धारा 37 के अधीन प्रस्तुत किए गए ऐसी बहिर्गामी पूर्तियों के ब्यौरों के संबंध में संदेय कर, शामिल होगा, किन्तु धारा 39 के अधीन प्रस्तुत विवरणी में शामिल नहीं किया जायेगा।

(13) जहां धारा 73 या धारा 74 के अधीन कोई शास्ति अधिरोपित की जाती है तो उसे कृत्य या लोप पर किसी शास्ति को उसी व्यक्ति पर इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन अधिरोपित नहीं किया जाएगा ।

* * * * * *

अध्याय 17
अग्रिम विनिर्णय

कतिपय परिस्थितियों में अग्रिम विनिर्णय का शून्य होना.

104. (1) जहां प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण यह पाता है कि धारा 98 की उपधारा (4) के अधीन या धारा 101 की उपधारा (1) के अधीन या केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 101ग के अधीन उसके द्वारा उदघोषित अग्रिम विनिर्णय को आवेदक या अपीलार्थी द्वारा कपट या तात्विक तथ्यों को छिपाने या तथ्यों के दुव्यर्पदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है तो वह आदेश द्वारा ऐसे विनिर्णय को आरंभ से ही शून्य घोषित कर देगा और तत्पश्चात् इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध आवेदक या अपीलार्थी को ऐसे लागू होंगे मानो अग्रिम विनिर्णय कभी किया ही नहीं था ;

परन्तु यह कि इस उपधारा के अधीन कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा यदि आवेदक को सुने जाने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया हो।

स्पष्टीकरण–धारा 73 की उपधारा (2) और उपधारा (10) या धारा 74 की उपधारा (2) और उपधारा (10) में विनिर्दिष्ट अवधि की गणना करते समय इस उपधारा के अधीन ऐसे अग्रिम विनिर्णय की तारीख से प्रारंभ होने वाली और आदेश की तारीख को समाप्त होने वाली अवधि को परिवर्जित कर दिया जाएगा ।

* * * * * *

अध्याय 18
अपील ओर पुनरीक्षण

अपीलीय प्राधिकारी को अपीलें.

107. (6) उपधारा (1) के अधीन कोई अपील फाइल नहीं की जाएगी जब तक कि अपीलकर्ता ने निम्नलिखित संदाय नहीं किया हैं–

(क) अपेक्षित आदेश से उदभूत कोई कर, ब्याज, जुर्माना, फीस और शास्ति की राशि का ऐसा भाग, पूर्णतः, जैसा उसके द्वारा स्वीकारा गया है ; और

(ख) उक्त आदेश, जिसके संबंध में अपील फाइल की गई है, से उदभूत विवाद में बकाया कर की रकम के दस प्रतिशत के बराबर राशि, अधिकतम पच्चीस करोड़ रूपये के अध्यधीन रहते हुए।

परंतु धारा 129 की उपधारा (3) के अधीन, किसी आदेश के विरूद्ध कोई अपील तब तक प्रस्तुत नहीं की जाएगी, जब तक कि शास्ति के पच्चीस प्रतिशत के बराबर राशि का, अपीलार्थी द्वारा संदाय न कर दिया गया हो।

(11) अपीलीय प्राधिकारी ऐसी और जांच करने के पश्चात् जो आवश्यक हो, उसे संपुष्ट, उपांतरित या अपास्त करने वाला विनिश्चय का आदेश करेगा जो वह उचित समझे, किन्तु उस न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को मामला पुनःनिर्दिष्ट नहीं करेगा जिसने ऐसा विनिश्चय या आदेश पारित किया था :

परन्तु अधिहरण या वर्जित मूल्य के माल का अधिहरण के बदले में कोई फीस या शास्ति या जुर्माना बढ़ाने वाला अथवा प्रतिदाय की रकम या आगत कर प्रत्यय घटाने वाला कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा यदि अपीलकर्ता को प्रस्तावित आदेश के विरूद्ध कारण दर्शित करने का उचित अवसर नहीं दे दिया गया हो:

परन्तु यह और कि अपीलीय अधिकरण की जहां यह राय है कि कोई कर संदत्त नहीं किया गया है या कम संदत्त किया गया है या गलती से प्रतिदाय किया गया है अथवा जहां आगत कर प्रत्यय गलत ढंग से प्राप्त किया गया है या उपयोग किया गया है, वहां अपीलकर्ता से ऐसा कर या आगत कर प्रत्यय के संदाय की अपेक्षा करने वाला कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा यदि अपीलकर्ता को प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण दर्शित करने का नोटिस नहीं दिया गया है और धारा 73 या धारा 74 के अधीन विनिर्दिष्ट समय–सीमा के भीतर आदेश पारित किया जाता है ।

अपीलीय अधिकरण को अपील.

112. (1) इस अधिनियम की धारा 107 या धारा 108 के अधीन या केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन पारित किसी आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति, उस आदेश जिसके विरुद्ध अपील चाही गई है, अपील करने वाले व्यक्ति को संसूचना की तारीख से, ऐसे आदेश के विरुद्ध तीन मास के भीतर अपील कर सकेगा ।

(3) आयुक्त उक्त आदेश की विधिमान्यता या उपयुक्तता के संबंध में स्वयं के समाधान के प्रयोजन के लिए इस अधिनियम या केंद्रीय माल और सेवा कर

अधिनियम के अधीन अपीलीय प्राधिकारी या पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश के अभिलेख को स्वतः या केंद्रीय कर आयुक्त के अनुरोध पर परीक्षण के लिए मंगा सकेगा और आदेश द्वारा या अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को निर्देश देकर उस तारीख को जिस पर अपने आदेश में आयुक्त द्वारा यथा विनिर्दिष्ट उक्त आदेश से उत्पन्न ऐसे बिन्दुओं के अवधारण के लिए उक्त आदेश पारित किया गया है, से छह मास में अपीलीय अधिकरण को आवेदन कर सकेगा ।

(6) अपीलीय अधिकरण, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अवधि के अवसान के पश्चात् तीन मास में एक अपील स्वीकार कर सकेगा या उपधारा (5) में निर्दिष्ट अवधि के अवसान के पश्चात् 45 दिन में प्रति आक्षेपों का ज्ञापन फाइल करने के लिए अनुमति दे सकेगा यदि यह समाधान हो जाए कि इसको उस अवधि में प्रस्तुत न कर पाने का उपयुक्त कारण था ।

(8) कोई अपील, उपधारा (1) के अधीन तब तक फाइल नहीं की जाएगी जब तक अपीलार्थी निम्नलिखित संदत्त न कर दे,—

(क) पूर्ण कर की रकम का ऐसा कोई भाग, ब्याज, जुर्माना, फीस और आरोपित आदेश से उत्पन्न शास्ति जैसी उसके द्वारा स्वीकार की गई हो; और

(ख) धारा 107 की उपधारा (6) के अधीन संदत्त रकम के अतिरिक्त विवाद में कर की शेष रकम के बीस प्रतिशत के बराबर राशि अधिकतम पचास करोड़ रूपए के अध्यधीन रहते हुए, जो उस आदेश जिसके संबंध में अपील फाइल की गई है, से उदभूत हुई है ।

* * * * * *

अध्याय 19
अपराध और शास्तियां

कतिपय अपराधों के लिए शास्ति.

122. (1ख) कोई इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक, जो –

(i) इस अधिनियम के अधीन जारी अधिसूचना द्वारा रजिस्ट्रीकरण से छूट प्राप्त व्यक्ति से भिन्न किसी अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को इसके माध्यम से माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति करने के लिए अनुज्ञात करता है;

(ii) इसके माध्यम से किसी ऐसे व्यक्ति, जो ऐसी अंतर्राज्यिक पूर्ति करने के लिए पात्र नहीं है, के द्वारा माल या सेवाओं या दोनों की अंतर्राज्यिक पूर्ति अनुज्ञात करता है; या

(iii) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने से छूट प्राप्त व्यक्ति द्वारा इसके माध्यम से की गई माल की किसी जावक पूर्ति के सही ब्यौरे, धारा 52 की उपधारा (4) के अधीन प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण में, प्रस्तुत करने में विफल रहता है;

तो वह दस हजार रूपये या अंतर्वलित कर की रकम, यदि ऐसी पूर्ति धारा 10 के अधीन कर संदाय करने वाले व्यक्ति से भिन्न किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा की गई होती, के समतुल्य रकम, जो भी उच्चतर हो, की शास्ति का संदाय करने का दायी होगा।

कतिपय मामलों में शास्ति

127. जहां समुचित अधिकारी इस विचार का है कि व्यक्ति शास्ति के लिए दायी है और वह धारा 62 या धारा 63 या धारा 64 या धारा 73 या धारा 74 या धारा 129 या धारा 130 के अधीन किसी कार्यवाह में नहीं आती है तो वह ऐसे व्यक्ति को सुनवाई

अधिरोपित करने की शक्ति. का अवसर देने के पश्चात् ऐसी शास्ति उदगृहीत करने का आदेश जारी कर सकेगा।

शास्ति या शुल्क या दोनों के अधित्यजन करने की शक्ति. 128. सरकार, अधिसूचना द्वारा, कर दाता के ऐसे वर्ग के लिए धारा 122 या धारा 123 या धारा 125 में निर्दिष्ट किसी शास्ति या धारा 47 में निर्दिष्ट किसी विलंब शुल्क का भाग में या पूर्णतः और परिषद् की सिफारिश पर उसमे यथा विनिर्दिष्ट ऐसी न्यूनीकरण परिस्थितियों के अधीन, अधित्यजन कर सकेगी ।

* * * * * *

अध्याय 21
प्रकीर्ण

मुनाफाखोरी निरोधी उपाय. 171. (2) केन्द्रीय सरकार यह परीक्षण करने के लिए कि क्या किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा उपभोग इनपुट कर प्रत्यय या कर दर में कमी से परिणामतः वास्तव में उसके द्वारा प्रदाय किए गए माल और सेवाओं या दोनों के मूल्यों में अनुरूप कमी हुई है, परिषद् की सिफारिशों पर, उस समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन अधिसूचना द्वारा, प्राधिकरण का गठन कर सकेगी या किसी विद्यमान प्राधिकरण को सशक्त बना सकेगी ।

अनुसूची 3 8. (क) घरेलू उपभोग के लिए अनुमति प्रदान किए जाने से पूर्व किसी व्यक्ति को भांडागार में रखे गए माल का प्रदाय;

(ख) परेषिती द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को, माल का, भारत से बाहर अवस्थित मूल पत्तन से प्रेषण किए जाने के पश्चात्, किंतु घरेलू उपभोग के लिए अनुमति दिए जाने से पूर्व, माल के मालिकाना हक के दस्तावेज में पृष्ठांकन द्वारा, प्रदाय।

स्पष्टीकरण 1– पैरा 2 के प्रयोजन के लिये, शब्द "न्यायालय" जिसके अंतर्गत जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय भी सम्मिलित है।

स्पष्टीकरण 2– पैरा 8 के प्रयोजनों के लिये, शब्द "भांडागार में रखे गए माल" का वही अर्थ होगा, जो सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 में उसके लिये समनुदेशित है।

टीप– (1) उपरोक्त पैरा 7, 8 तथा स्पष्टीकरण 2 को 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त किया गया समझा जायेगा।

(2) ऐसे सभी कर का कोई प्रतिदाय नहीं किया जाएगा, जिसे संग्रहित किया गया है, किन्तु जिसे संग्रहित नहीं किया गया होता, यदि उपरोक्त टीप के उपबंध, सभी तात्विक समयों पर प्रवृत्त हुई होती।

* * * * * *

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2024.